124

संख्या–488/VI-2/2014–29(3)2010

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक : 17 अगस्त, 2015

विषय : जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी में 'रांसी स्टेडियम ' के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–853/VI-2/2010–29(3)2010,दिनांक 03.11.2010, संख्या–96/VI-2/2013–29(3)2010, दिनांक 11.02.2013, संख्या–245/VI-2/2014–29(3) 2010, दिनांक 23.05.2014 एवं संख्या–526/VI-2/2010–29 (3)2010, दिनांक 22.11.2014, के अनुक्रम में तथा आपके पत्र संख्या–527/रां0स्टे0पत्रा0/2014–15 22.07.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी में ''रांसी स्टेडियम'' के निर्माण किये जाने हेतु परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹499.42 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹450.31 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹49.11 लाख) के सापेक्ष देय अवशेष ₹95.62 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹85.80 लाख (₹पिचासी लाख अस्सी हजार मात्र) की आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्राजेक्ट के रूप में करते हुये प्रथम फेज के कार्यो यथा आदि के कार्यो तथा अवशेष कार्यो को प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक पूर्ण कर लिया जाय, ताकि Cost over & run न हो। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। आगामी स्वीकृति मांगे जाने के समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवश्य अवगत कराया जाय।

3– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2007, दिनांक–23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

4– पानी की कमी को दूर करने के लिए विकल्प के रूप में चैकडैम टैक्नीकल फिजीबिलिटी का परीक्षण वन विभाग/सिंचाई विभाग से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व मदवारदर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शेडयूल आफ रेट्स में स्वीकृति नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/ सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्यक करा लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

10– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों से कड़ाई से पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

12– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा यदि कोई बचत होती है, तो उसे राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा।
निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में

क्रमशः–3–

नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वाहन किया जायेगा।

14– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद–05–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

संख्या–488 (1)/ VI-2/2014–29(3)2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. महाप्रबंधक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून/इकाई प्रभारी, गोलापार, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
7. जिला खेल अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

C:\Documents and Settings\A\Desktop\patak\G.O..doc